

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

सहायक कलेक्टर

अज अदालत.....

(SDO) बायलु

मुकाम.....

पैराराम कठोरी

बनाम

पैराराम कठोरी



किस्म मुकदमा.....

शुभ सुन

नं.

105/22

सन 2022

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
10/3/22	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>रिवेश राम मिश्रा</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>30/03/22</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">             सहायक कलेक्टर            (SDO) बायलु         </p> <p>30/03/2022</p> <p>प्रार्थी वकील उपलब्ध। विप्रार्थी/गणों के नोटिस तामील हुआ जात जिसे तामील पत्रावली दिनांक 27/03/22 को तिन बार कावाज लगाई गई, फिलहाल कावाज 5.45 PM पर लगाई गई विप्रार्थी गण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपलब्ध नहीं हुआ बिना विप्रार्थी गणों के विरुद्ध एडवोकेट डायवली डायल में लाई जाती है फिलहाल कावाज पत्रावली दिनांक 27/03/2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">             सहायक कलेक्टर            (SDO) बायलु         </p>	

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

27/04/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढ़ा सेढ़ा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कण्डे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फ़ैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक सचिव  
(SDO) बायतु

न्यायालय  
क्रमांक : वाप / 2022 /  
प्रार्थी 379  
1. भंरास

राजस्थान-सरकार

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद/2022/ 379  
प्रार्थी

बनाम

दिनांक : 27/4/22  
विप्रार्थीगण

1. भैराराम पुत्र देराजराम वगैरा 03,  
जाति जाट, निवासी दानपुरा,  
पटवार मण्डल जाखड़ा,  
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

1. अनाराम पुत्र गोरधनराम वगैरा 52,  
जाति जाट, निवासी दानपुरा,  
पटवार मण्डल जाखड़ा,  
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

### प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 105/2022

#### आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - दानपुरा, पटवार मण्डल - जाखड़ा, तहसील - गिड़ा, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 154/93, 516/300 रकबा क्रमशः 9.0003, 0.8983 हेक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस सहायक प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक : वाद/2022/ 380 to 384  
प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का जाखड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री भैराराम पुत्र देराजराम वगैरा 03,
4. विप्रार्थी श्री अनाराम पुत्र गोरधनराम वगैरा 52,
5. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा।

(जगदीश सिंह आशिया)  
उपखण्ड अधिकारी बायतु  
दिनांक : 27/4/22

सहायक पुलिस अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी बायतु